प्रकरण संख्या 02/2026
अनवान चरणजीत सिंह वगैरा बनाम जगीर सिंह वगैरा

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावजों व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का भली–भांति अवलोकन किये जाने पर प्रार्थी को चक 13 एमकेएस में दर्ज भूमि में मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने के कारण प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 1 के जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर बिना कोई प्रतिफल के रास्ता स्वीकृत करने हेतु राजीनामा प्रस्तुत कंर अपनी सहमति प्रदान की गई है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251 (A) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम–1955 के नियम–68 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 13 एमकेएस प.न. 178/231 मु.न. 13 के किला नम्बर 5 व 6 में पूर्वी दिशा की ओर खाला के साथ–साथ उतर से दक्षिण दो–दो बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मंजूरशुद्वा रास्ता का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन किया जावें। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 5.6.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया